620

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक— —/2017निगरानी R 922-PB 2017

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण

::— पाटीदार समाज समिति, ग्राम बरखेडा देवडुंगरी द्वारा
:1:— अध्यक्ष, परमानन्द पिता श्री शंकरलालजी कुल्मी
:2:— कोषाध्यक्ष, देवीलाल पिता श्री शिवलालजी कुल्मी
निवासीगण—ग्राम बरखेडा देवडुंगरी तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर म0प्र0

——विरूद्ध——

अनावेदकगण/

भगवानलाल पिता लच्छीरामजी कुल्मी मृत वारसान
:1:— वरदीबाई बेवा श्री भगवानलालजी कुल्मी
:2:— भागीरथ पिता श्री भगवानलालजी कुल्मी
:3:— राधाबाई पिता श्री भगवानलालजी कुल्मी
:4:— चंदाबाई पिता श्री भगवानलालजी कुल्मी
:5:— शांतिबाई पिता श्री भगवानलालजी कुल्मी
निवासीगण—ग्राम बरखेडा देवडुंगरी तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर म0प्र0
:6:— खेमराज पिता श्री मन्नालालजी कुल्मी
:7:— प्रभुलाल पिता श्री मन्नालालजी कुल्मी
निवासीगण—ग्राम बही तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर म0प्र0
:8:— सचिव, पाटीदार समाज समिति, परसराम पिता श्री ब्रजलालजी कुल्मी निवासी—ग्राम बरखेडा देवडुंगरी तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर म0प्र0

श्री सौरभ जैन अभि० द्वारा आज दि. 20-3-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन सम्भाग उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 571/अपील/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2017 से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदकगण द्वारा निम्न निगरानी प्रस्तुत है :—

::—निगरानी के तथ्य—::

01. यह कि, आवेदकगण द्वारा अनावेदक कमांक—6 एवं 7 से उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नंबर 449 रकबा 0.220 हैक्टेयर तथा सर्वे नंबर 495 रकबा 0.140 हैक्टेयर कुल रकबा 0.360 हैक्टेयर दिनांक 11.01.2013 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय कर भूमि का आधिपत्य प्राप्त किया । तहसील मल्हारगढ में नामान्तरण का आवेदन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 922-पीबीआर/17 जिला - मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27.12.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 571/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-1-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बरखेडा देव स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 449 रकबा 0.22 आरी एवं सर्वे क्रमांक 495 रकबा 0.14 आरी भूमि आवेदक क्रं0 1 व 2 एवं अनावेदक क्रं0 8 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 6 एवं 7 से पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय करने के उपरांत तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसमें विज्ञप्ति प्रकाशित करने पर आपत्तिकर्ता भगवानलाल के द्वारा एक आपत्ति पेश की गई कि ग्राम बरखेडा देव स्थित वादग्रस्त सर्वे नंबर की भूमि आवेदक पाटीदार समाज को बिना प्रतिफल प्राप्त किए विक्रेतागण अनावेदक क्रमांक 6 व7 की माता से दिनांक 15-2-89 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय की गई परंतु उसका नामांतरण तहसीलदार द्वारा प्र0क्र0 44/अ-6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 7-4-03 से भगवानलाल के नाम से किया गया । इसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में की गई जिसमें भगवानलाल का नाम कम कर दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध भगवानलाल द्वारा कमिश्नर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें भगवानलाल के पक्ष में स्थगन होने से उक्त भूमि आपत्तिकर्ता के मालिकी एवं आधिपत्य में है । इसी भूमि के संबंध में एक दीवानी वाद द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मंदसौर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 1-ए/2005 में पारित आदेश दिनांक 16-12-2006 वादी के पक्ष में होने से उसकी अपील प्रतिवादी भगवानलाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में की गई जो प्रकरण	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	क्रमांक 93/07 में पारित आदेश दिनांक 19-2-07 से स्थगन दियागया इस स्थिति के बावजूद तहसीलदार, मल्हारगढ ने प्रकरण क्रमांक 67/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19-8-14 के द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति अस्वीकार कर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर आवेदक पाटीदार समाज का नामांतरण स्वीकार किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक के वारिसान द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 8-4-15 के द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बाद भी विचारण न्यायालय ने नामांतरण आदेश पारित किया है, जो विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई । इस आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण द्वारा अपील पेश कीगई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी मेमो में मुख्य रूप से यह तर्क दियेगये हैं कि अपर आयुक्त द्वारा दीवानी प्रकरण में मृतक भगवानलाल के कथित कूटरचित विक्रयपत्र को दीवानी वाद में शून्य घोषित कर दिया गया था । प्रस्तुत अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन उक्त घोषणात्मक सहायता के विरूद्ध नहीं था । डिक्री को स्थगित नहींकिया गया था इसलिए अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्ती योग्य है । यह भी आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 5-12-89 का कूट रचित विक्रयपत्र मृतक भगवानलाल जिसके आधार पर स्वत्व प्रकट करता था शून्यवत कूट रचित घोषित होने के उपरांत भी दीवानी न्यायालय के राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी निर्णय के विपरीत निष्कर्ष निकालकर त्रुटि की है । यह भी आधार लिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 922-पीबीआर/17 जिला - मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आधारों पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत विचार कर आदेश पारित किया है, लिखित बहस में यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन होने के बावजूद तहसीलदार द्वारा वर्तमान प्रकरण में आदेश पारित किया है, जो स्पष्ट रूप से कानून की अवहेलना है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । विद्वान अपर आयुक्त द्वारा भी प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा गया है । इसलिए वर्तमान प्रकरण में ग्राह्यता का कोई आधार नहीं है । अत: निगरानी निरस्त की जाये । 5/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा जो नामांतरण आदेश आवेदकगण के पक्ष में पारित किया गया है वह विधिवत नहीं है क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया था । इसलिए स्थगन आदेश के रहते हुए प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना वैधानिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है । उक्त स्थिति पर विचार करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपने	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश दिनांक 8-4-15 से स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1986 आर0एन0 23 उच्च न्यायालय, 1998 आर0एन0 418 उच्च न्यायालय एवं 2008 आर0एन0 91 उच्च न्यायालय अवलोकनीय हैं । 6/ इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 1-ए/05 में द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-12-06 वादी के पक्ष में होने से उसकी अपील क्रमांक 93/07 प्रतिवादी भगवानलाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-2-07 को स्थगन दिया गया जो वर्तमान में विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार, मल्हारगढ द्वारा आवेदकगण के पक्ष में पारित आदेश वैधानिक नहीं है । इसलिए अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे अपने स्थान पर उचित हैं । माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वह पक्षकारों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों पर भी बंधनकारी होगा । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहींहै । उपरोक्त विवेचना के आधारपर यह निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-1-17 स्थिर रखा जाता है । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	